

गुरु
अर्थ

पत्रावली पेश हुई। निप्रार्थीगण अनुपस्थित
 प्रार्थी सदस्यीसदार पत्रपदरा गरा एवं
 प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन
 किया की ग्राम मिशनोद पेश उडवू
 के जाव के ग्रुप सदरा न. 5 व 9
 है। जिसमें निप्रार्थीगण संख्या 1 से 19
 की स्वातेदारी भूमि है। उक्त स्वसरान
 पर स्वातेदारन का कट्टा कास्त जमका
 अनुसार नहीं है, एवं स्वातेदारन के
 रहवासी भकानात बने हुए है। अतः
 परिशिष्ट 'अ' के काठम संख्या 8 से
 12 अनुसार दोनों स्वतरा न. का 5 व
 9 एकीकरण प्रस्तावित है। इसी अनुसार
 एकीकरण का आदेश पत्रावे। अती
 संलग्न परिशिष्ट 'अ' के कॉलम 10.
 8 से 12 अनुसार स्व. न. 5 व 9 का
 एकीकरण कर संयुक्त स्वाता दर्ज
 करने का भी निवेदन किया है।

सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) गान्धी

हमने पत्रावली का व संलग्न
 दस्तावेज का अवलोकन व अध्ययन
 किया। निप्रार्थीगण ने जवाब पेश
 करने का समय देने के बावजूद
 भी जवाब पेश नहीं किया व प्रार्थी
 का प्रार्थना का पत्र पर गनन किया
 गया। नतीजान में ग्राम मिशनोद पेश
 उडर के जाव के ग्रुप स्व. न. 5 व 9
 के स्वातेदार के रहवासी भकानात बने

क्रमांक
दिनांक

हुमना कायदा प्राथमिक का निवेदन
 की अन्तर्गत प्रेषित खसरा न.
 एकीकरण कर संयुक्त खाता रजि.
 कर। जहाँ-प्राथमिक ग्राहक प्राथमिक
 R.R. Act 1956 की धारा 131, 136
 R.R. Act के तहत पैदा की गई है।
 धारा 136 राजस्व रेकर्ड में
 किसी अशुद्धि को सुद्ध करने हेतु
 है। एकीकरण कर संयुक्त खाता
 दर्ज करने का नहीं है। अतः प्राथमिक
 का प्राथमिक पत्र सारदीन होने से
 प्राथमिक का प्राथमिक पत्र स्वारीज किया
 जाता है।

पतावली कैलकुलेशन सुमार डीकर
 दारिनाप इप्तर हो।

आदेश शुल्क न्यायालय में सुनाया
 गया।

(Signature)
 सहायक कलेक्टर
 (B.D.O.) बालोचरा